Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में नगर निगम (दक्षिण) का जमादार 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *29 अप्रेल, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **विशाल चौहान हाल जमादार, नगर निगम (दक्षिण), कोटा** को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा प्रस्तुत मेडिकल सर्टिफिकेट को अस्वीकार कर, उसकी गैरहाजिरी अवधि का वेतन काटने की धमकी देकर, अनुपस्थिति अवधि का वेतन बनाने की एवज में विशाल चौहान हाल जमादार, नगर निगम (दक्षिण), कोटा द्वारा **4 हजार 200 रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनीस अहमद** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी विशाल चौहान हाल जमादार, नगर निगम (दक्षिण), कोटा को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**